कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री बनवारी पेपर्स मिल्स लि0, जमाल गंज, तह0स्वार, रामपुा 1**

प्रा0प0सं0— **326 / 2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री एस0के0विद्यार्थी, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 15—07—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि कागज पर प्रवेश कर की देयता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर की देयता है। उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागतवित्तकरनिबन्धनअनुभाग—2—क0नि0—2—766 / ग्यारह—9(203) / 92—उ0प्र0अधि0—30—37—आदेश—(11)—2008 दिनांक 4—3—08 द्वारा जारी विज्ञप्ति निम्नवत् हैः—

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—30सन् 2007)की धारा के खण्ड (उनतालिस)के साथ पठित धारा 6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 जनवरी, 2008 से, स्थानीय क्षेत्र में **माल के प्रवेश से पूर्व** या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—5 सन् 2008) के अधीन **व्यापारी द्वारा देय कर की सीमा तक** ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर सन् 2007 के उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से, छूट प्रदान करते है।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या—1587 दिनांक 5—5—08 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि इस मामलें में दिनांक 4—3—08 को जारी अधिसूचना को देखने से यह स्पष्ट होता है कि स्टाक ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त बाहर से पेपर प्राप्त होता है, जिसकी प्रान्तीय बिक्री की जाती है। चूंकि स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व ऐसे कागज की खरीद या बिक्री पर वैल्यू एडेड टैक्स दिया ही नहीं गया है । अतः इसका समायोजन प्रवेश कर में नहीं किया जा सकता है। अतः स्टाक ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त पेपर पर प्रवेश कर के अतिरिक्त वैल्यू एडेड टैक्स भी देय होगा।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री एस0के0विद्यार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या, विद्वान अधिवक्ताद्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया गया और पाया गया कि दिनांक 4—3—08 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के बाहर से आयातित कागज पर चूंकि स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व कागज की खरीद एवं बिक्री पर वैट की अदायगी नहीं की जाती है **अतः आयातित कागज पर वैट के साथ—साथ प्रवेश कर भी देय होगा** तथा वैट के समायोजन का लाभ व्यापारी को नहीं मिलेगा तथा शासनद्वाराजारीविज्ञप्तिसंख्या—क0नि0—2—103 / ग1—9(।) / 08—उ0प्र0अधि0—30—2007—आदेश(37)—2009दिनां क15—01—09द्वारादिनांक 4—3—08 को जारी विज्ञप्ति को विखण्डित कर दिया गया है तथा प्रवेशकर की अधिसूचना 104 दिनांक 15.1.09 द्वारा कागज पर प्रवेशकर की दर को 2 प्रतिशत कर दिया गया है । इस प्रकार दिनांक 4—3—08 की विज्ञप्ति विखण्डित होने के परिणाम स्वरुप कागज पर प्रवेश कर तथा वैट के समायोजन का लाभ देय नहीं होगा । वैट और प्रवेश कर दोनों ही देय होगे ।

क्रमशः 2 पर

<u>सर्वश्री बनवारी पेपर्स मिल्स लि0, जमाल गंज, तह0स्वार, रामपुर</u>
<u>प्रा0प0सं0—326 / 2008</u>

अतः आयतित कागज पर दिनांक 4.3.08 की विज्ञप्ति विखण्डित होने के पूर्व व बाद दोनो ही अवस्थाओ मे वैट व प्रवेशकर देय होगा तथा वैट के प्रवेशकर मे समायोजन का लाभ नही मिलेगा ।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0 / 20—3—09

दिनांकः: 20 मार्च, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।